GOVERNMENT OF RAJASTHAN

TRANSPORT DEPARTMENT

No. F 7 (66) Pari/Rules/H.Q./94

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by rule 8.28 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, the State Government hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. F.7(66)Pari/Rules/Hq. Dated 5.7.2002, namely.-

AMENDMENT

In the said Notification the existing point (i) in clause (a) shall be substituted by the following; namely:-

"(i) Pillion riders except in the Municipal Limit of Jaipur city, and"

By Order of the Governor,

Jaipur Dated: 28-01-2011

(Madan Singh Kala)

Dy. Secretary to the Government

राजस्थान सरकार परिवहन विभाग

सं. एफ 7 (66) परि / रूल्स / एच.क्यू. / 94

जयपुर, दिनांक : 28.01.2011

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 8.28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ 7 (66) परि/क्रल्स/एच.क्यू. दिनांक 05.07. 2002, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड (क) में विद्यमान उप—खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" (i) जयपुर शहर की नगरपालिका सीमा छोडकर पीछे बैठने वाली सवारियां, और "

राज्यपाल के आदेश से.

(मदन सिंह काला) शासन उप सचिव